(21)

राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा
प्रकरण क्रमांक R. 1171-तीन/14

ी.
हार.
प्रस्तुत किया गया।

रीडर/
सर्किट कोर्ट रीवा

... पटेल तनय श्री बाबू प्रसाद पटेल निवासी ग्राम जलार, तहसील ... गुढ, जिला रीवा म.प्र. ———— आवेदक

विरुद्ध

(1) बेवा मानवती ~~...~~ पत्नी रामप्रसाद
(1) ~~प्रयागवती पत्नी ब्रजेश प्रसाद~~
(11) ~~पद्मवती पत्नी लल्लूप्रसाद~~
(1) सुशीला पत्नी रामावतार
(2) नरेन्द्र मिश्रा पिता रामावतार
(3) कलावती पत्नी रामदीन
(4) हनुमान प्रसाद, उमाशंकर, रमाशंकर
विजय शंकर, दयाशंकर पिता रामदीन
सभी निवासी ग्राम जलार तह. गुढ
जिला रीवा म.प्र. ———— अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान अपर, जिला ~~...~~धीश महोदय, रीवा के प्रकरण क्रमांक 40/ मूल / अ74/ 2005-06 आदेश दि. 4.3.2014

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता सन् 1959 के तहत.

आगरछायाप्रति / सेवा मानवी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक 1171/III/2014 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
9.4.2014	अपर कलेक्टर, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 40/मूल/अ-74/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 04-03-14 के विरूद्व यह निगरानी म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक को सुना तथा अपर कलेक्टर, रीवा के आदेश दि. 04-03-14 का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 04-03-14 के अवलोकन से पाया गया कि उन्होंने संहिता की धारा 107 के अंतर्गत मूल न्यायालय की हैसियत से नक्शा दुरूस्ती का आदेश पारित किया है और ऐसे आदेश के विरूद्व प्रथम अपील आयुक्त/अपर आयुक्त को होगी, सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी नहीं होगी । 4/ उक्त कारणों से निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से इसी स्तर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करे। सदस्य	